न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 830–पीबीआर/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 363/99–2000/अपील माल.

विशम्भर दयाल मिश्रा पुत्र प्रेम नारायण मिश्रा
निवासी कटीघाटी, ए.बी. रोड, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा नजूल अधिकारी
नजूल कार्यालय गोरखी भवन, ग्वालियर
2– नजूल तहसीलदार, नजूल तहसील ग्वालियर
3– धीरेन्द्र श्रीवास्तव
निवासी बहोड़ापुर, लश्कर, ग्वालियर ..... अनावेदकगण

श्री सुशील अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.के. अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1, 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/9/२०१५ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में श्री अशोक श्रीवास्तव, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस (ई) कमेटी ब्लाक कमांक 1 ग्वालियर द्वारा नजूल अधिकारी, ग्वालियर को इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि कटी घाटी स्थित मंदिर रामजानकी के पुजारी मुरलीधर के निधन के बाद उसके पुत्र नारायण दास ने स्वयं को पुजारी घोषित करके मंदिर की भूमि का विकय करने का अनुबंध किया है और मंदिर की सम्पत्ति विकय कर खुर्द–बुर्द करना चाहता है । शिकायतकर्ता द्वारा नारायण दास की

ओर से सुधीर देशपाण्डे के साथ किये गये अनुबंध पत्र दिनांक 11–3–91 की प्रति प्रस्तुत की गई । इसी आशय की एक अन्य शिकायत रामचरण दास, गुरूदयाल दास द्वारा भी स्वयं को मंदिर का सही उत्तराधिकारी बताते हुए की गई । नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 271/92–93/ए–68/248 दर्ज कर दिनांक 2–9–96 को आदेश पारित कर आवेदक विशम्भर दयाल मिश्रा द्वारा दुकान बनाकर एवं धीरेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव द्वारा सर्वे कमांक 366 की सम्पूर्ण भूमि पर अतिकमण का दोषी पाया जाकर प्रत्येक पर पॉच–पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए शासकीय भूमि से बेदखली के आदेश दिये गये । बेदखली का नोटिस तहसीलदार द्वारा जारी किये जाने के निर्देश देते हुए तहसीलदार नजूल की ओर आगामी कार्यवाही हेतु भेजा गया । नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–3–2000 को आदेश पारित कर नजूल अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–1–2006 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों पर नजूल अधिकारी द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है, इसलिए उनके आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1947 के बयनामें के आधार पर आवेदक को प्राप्त हुई है और तत्समय जो निर्माण हुआ था, वह आज भी विद्यमान है । इस आधार पर कहा गया कि संहिता की धारा 248 के प्रावधान प्रश्नाधीन भूमियों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वहां निर्माण मौजूद है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक की सम्पत्ति सर्वे कमांक 370 में स्थापित नहीं है और बिना सीमांकन के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय मानने में नजूल अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार

रहित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय मंदिर की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, इसलिए नजूल अधिकारी द्वारा बेदखली का आदेश पारित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है और नजूल अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नजूल अधिकारी, ग्वालियर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा मंदिर की भूमि सर्वे कमांक 370 पर 19'X 9' फीट पर दुकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है । आवेदक द्वारा नजूल अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की शासकीय भूमि नहीं होकर उसके स्वामित्व की भूमि है, अतः नजूल अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल करने सम्बंधी आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा भी अपने आदेश में उक्त आशय के निष्कर्ष निकालते हुए नजूल अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक की ओर से यह आधार लिया गया है कि नजूल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि नजूल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु उसके द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि प्रश्नाधीन भूमि उसके स्वत्व की भूमि है और उसके द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश भी वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका वर्ष 1947 से उसका मकान बना हुआ है, इसलिए संहिता की धारा 248 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । आवेदक का उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक द्वारा

स्पष्ट रूप से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समतर्वी निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर